संख्या–6913/आठ–1–06–51रिट/06

प्रेषक,

डी. सी. लाखा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1– उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गजियाबाद।

2– जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2006**

विषय : उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए हाई–टेक टाउनशिप नीति–2003 के अंतर्गत मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सार्शियम) का चयन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनादेश दिनॉक 22.11.03 द्वारा घोषित नीति के अनुपालन में समस्त आवश्यक प्रक्रियायें सुनिश्चित करते हुए हाई–टेक टाउनशिप नीति में विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त कुल 9 हाई–टेक टाउनशिप हेतु 6 विकासकर्ता कम्पनियों का चयन शासनादेश दिनांक 21.05.05 द्वारा किया गया था। तत्समय विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स द्वारा दादरी, जनपद–गौतमबुद्ध नगर में हाई–टेक टाउनशिप हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव बिल डाक्युमेंट के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था।

2– मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स द्वारा शासन के उक्त निर्णय के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या : 949(एम.बी.)/2006 निर्माण ओवरसीज प्रा.लि. बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व आवास बन्धु दायर की गयी, जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.02.06 को उक्त विकासकर्ता कम्पनी के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिये गये।

3– मा. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनॉक 20.06.06 को अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु की अध्यक्षता में हाई–टेक टाउनशिप हेतु विकासकर्ता कम्पनियों के मूल्यॉकन हेतु गठित ''मूल्यॉकन समिति'' की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हाई–टेक टाउनशिपक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करना है, अतः उक्त कन्सार्शियम द्वारा टर्न–ओवर

एवं एम.ओ.यू. के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर ''प्री–क्वालीफिकेशन'' हेतु पुनर्विचार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

4– मूल्यॉकन समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय/संस्तुतियों के आधार पर दिनॉक 04.09.06 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स के ''प्री–क्वालीफिकेशन'' हेतु अर्ह पाये जाने के दृष्टिगत तकनीकी मूल्यॉकन समिति द्वारा ''इन्वेलप–सी'' खोलने हेतु यथाषीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय एवं प्रस्ताव के मूल्यॉकनोपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

5– अतः उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिनॉक 04.09.06 की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में दिनॉक 03.10.06 को अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें ''डाक्युमेंट फॉर सब्मिशन आफ प्रपोजल'' के अंतर्गत प्रस्तावों के मूल्यॉकन हेतु निर्धारित माप दण्डों के आधार पर नकनीकी मूल्यॉकन समिति द्वारा गहन विश्लेषण किया गया तथा तकनीकी मूल्यॉकन समिति द्वारा किये गये मूल्यॉकन के आधार पर मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स को अधिकतम निर्धारित अंक 100 के सापेक्ष कुल 65.25 अंक प्राप्त हुए।

6– उक्त के आधार पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि दादरी, गौतमबुद्ध नगर हेतु कोई अन्य प्रस्ताव किसी भी अन्य विकासकर्ता कम्पनी द्वारा नहीं दिया गया है, अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति तथा उल्लिखित तथ्यों के आलोक में हाई–टेक टाउनशिप नीति–2003 के अंतर्गत मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स को दादरी, गौतबुद्ध नगर में हाई–टेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु चयनित किया जाय।

7– अतः वर्णित स्थिति तथा उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दादरी, गौतमबुद्ध नगर में हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सार्शियम) का हाई–टेक टाउनशिप नीति–2003 के अंतर्गत चयन किया जाता है।

8– इसी संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 6067/9–आ–1 –2003–37वि/2003, दिनॉक 22.11.03, शासनादेश संख्या : 2712/आठ–1–05, दिनॉक 21.05.05 तथा शासनादेश संख्या : 5666/आठ–1–05–34विविध/03, दिनॉक 25.11.05 द्वारा उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारण, विकासकर्ता कम्पनियों के चयन तथा कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जो इस प्रकरण में भी प्रभावी होंगे। उक्त के साथ ही इस प्रकरण में एम.ओ.यू. के निष्पादन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को काम्पीटेंट अॅथारिटी नामित किया जाता

है। अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त वर्णित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अंतर्गत एम.ओ.यू. के निष्पादन तथा अन्य कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डी. सी. लाखा
प्रमुख सचिव

संख्या–6913(1)/आठ–1–06, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– मण्डलायुक्त, मेरठ।

4– महानिरीक्षक, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6– संबंधित भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु को संबंधित विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम को तद्नुसार सूचित करने एवं इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव